फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/330 बअनवान गोविंदसिंह बनाम तहसीलदार बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहते है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1064 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नंबर 1061 रकबा 0.1700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1063 रकबा 1.5100 हैक्टर के बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/- रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। कार्यालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

क्रमांकः कोर्ट/2026/827 दिनांक : 20.5.2026

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
गोविंदसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राव निवासी बिसलपुर तहसील बाली वगैरा		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व विविध RRCMS NO. 2025/330
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

—:: आदेश ::—

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम बिसलपुर पटवार हल्का बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 1064 रकबा 0.8200 हैक्टर, खसरा नंबर 1061 रकबा 0.1700 हैक्टर एवं खसरा नंबर 1063 रकबा 1.5100 हैक्टर के बाद पैमाईश करके पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000/—प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 20.5.2026

क्रमांकः कोर्ट/2026/828-831

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना सुमेरपुर
3. हल्का पटवारी बिसलपुर को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री गोविंदसिंह पुत्र रघुनाथसिंह जाति राव निवासी बिसलपुर तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with OKEN Scanner